

भाग - III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	जी हां।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रकरण FP/MP/Other/33428/2018 में वन मंडलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण पन्ना द्वारा भाग-2 में दी अनुशंसा के आधार पर वन क्षेत्र पर रकबा 4.24 हे. वन क्षेत्र पर 33 के.वी. विद्युत लाईन निर्माण की स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

तिथि : 25-3-19

स्थान : छतरपुर

(राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक

वन वृत्त छतरपुर